


261.

देश की तिथि	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर गई कार्रवाई टिप्पणी आदेश
6/8/2020	<p>अभिलेख उपस्थापित,</p> <p>मूल पंजी II/जमाबंदी पंजी एवं खतियान का अवलोकन किया गया। इस अवैध/संदिग्ध जमाबंदी के संबंध में भूमि सुधार अधिनियम की धारा 4h के तहत पूर्व से वाद सं० 126/1617 के अन्तर्गत कार्यवाही संचालित है। चूंकि एक ही मामले में दो अलग-अलग वाद के तहत सुनवाई नहीं की जा सकती है। इस कारण अंचल निरीक्षक एवं राजस्व उपनिरीक्षक से प्राप्त अनुशंसा एवं दस्तावेजों के अवलोकन के आधार पर इस वाद की कार्यवाही बंद की जाती है।</p> <p style="text-align: right;"> अंचल अधिकारी तोरपा।</p>	

जमाबंदी वाद सं० :- 261/2016.

प्रश्नगत भूमि मौजा ..... वादी ..... खाता सं० ..... प्लॉट सं० ..... 1606.....


रकबा ..... 0.61 सफ़्त ..... से संबंधित है। यह भूमि आर०एस० खतियान में गैरमजरूआ खास भूमि

तथा पंजी II के भोल्युम सं० I (Offline Regn) पृष्ठ सं० ..... 124 ..... में बिहार सरकार (झारखण्ड सरकार)

के नाम दर्ज पाया गया। झारखण्ड सरकार की उक्त भूमि को अवैध नहीं माना जा सकता है। अतः 4h की

कार्रवाही समाप्त की जा सकती है।

\* अन्व वाद सं - 4/2016 जिसपर कालिदास चल रही है।



राजस्व कर्मचारी



अंचल निरीक्षक